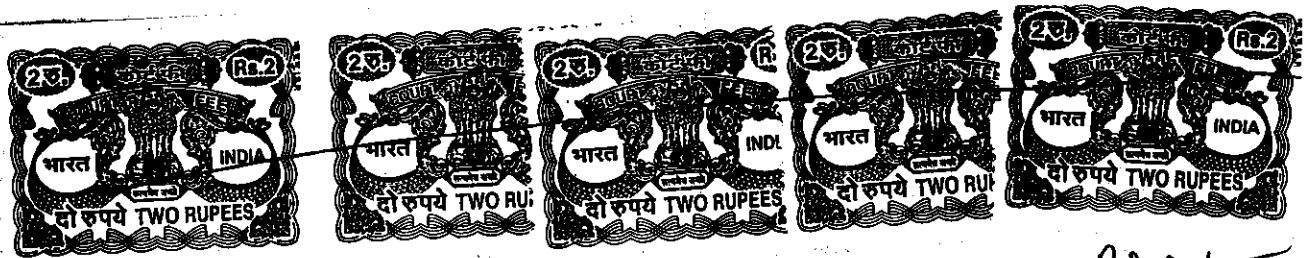

Rs.301/-

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0

कैम्प रीवा,

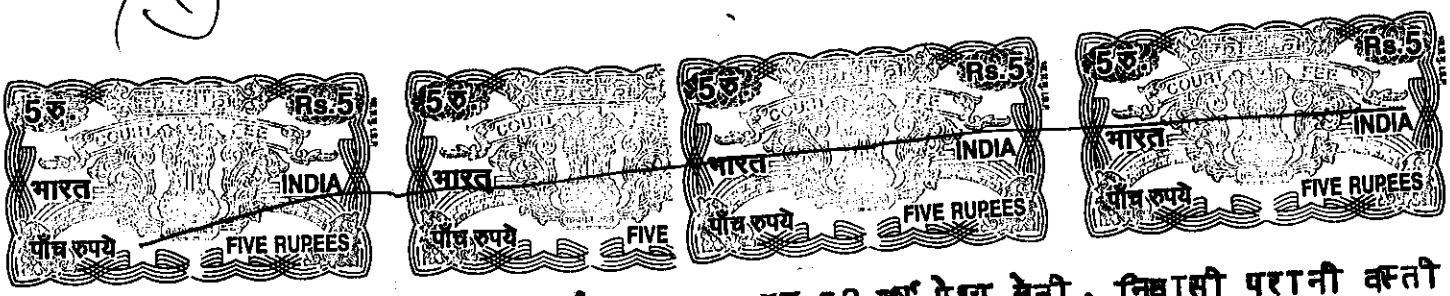

(14)

RS137-III/16

रामखेलावन पिता शंकर प्रसाद आयु 70 वर्ष पेशा खेती, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड न0 4, मैहर, थाना व तहसील मैहर, जिला -सतना म0प्र0 --- निगरानी कर्ता -

बनाम

1- शम्भू प्रसाद पिता अकाली बिवहरे, आयु 36 साल, पेशा व्यवसाय, नि0 पथरहटा, थाना अमदरा, तह0 मैहर, जिला -सतना म0प्र0

--- गैर निगरानीकारगण

2- म0प्र0 शासन

श्री.......... द्वारा आज दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक कार्यालय प्र0क्र0 93अ12/14-15 मे पारित आदेश दि0 24-7-2015,

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य यह है कि आवेदक के द्वारा आराजी नम्बर 68 व 83 का सीमांकन हेतु स्टेट बैंक आफ इन्डिया शाखा मैहर से 10.. रु0 की राशि जमा कर चालान बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, आवेदक द्वारा दिनांक 8-1-2012 को सीमांकन का आवेदन राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। लेकिन राजस्व निरीक्षक के द्वारा कोई कार्यवाही 2015 तक नहीं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5137–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रामखेलावन विरूद्ध शम्भू प्रसाद शिवहरे	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर बिचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 23.02.2016 के संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक को विधिवत सूचना पत्र जारी कर सूचना दी गयी है तथा मौके पर स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया है उक्त दोनों ही दस्तावेजों पर आवेदक की उपस्थिति के हस्ताक्षर है जिससे यह तो स्पष्ट है कि सीमांकन की आवेदक को सूचना भी थी और सीमांकन कार्यवाही आवेदक के समक्ष ही की गयी हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो रहा है कि तत्समय आवेदक को सीमांकन कार्यवाही से कोई आपत्ति भी नहीं थी यदि आपत्ति होती तो वह तत्समय ही अपनी आपत्ति संबंधित सीमांकन कर्ता अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी को दर्ज कराते किन्तु प्रकरण में इस आशय का कोई अभिलेख उपलब्ध नही है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित एवं पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य कर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	